


फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, 31 दिसम्बर वर्ष 2018 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम,जिसमें वह हो जन जली कार्यविभाग, 2. वर्तमान धारित पद सहायक इंस्पेक्टर
 3. वर्तमान वेतन 54500/- Basic 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जूलाई 2019

क	उस जिले, उपसम्भाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर हो तो बतलाईयें कि वह किसके नाम पर धारित है ओर उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया***खरीद,पट्टा, बंधक,विरासत,भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	यदि विरासत में नहीं हो तो शासन को सूचना देने/अनुमति प्राप्त करने का दिनांक
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला इन्दौर	① गृह	-	90 लाख	स्वयं एवं पत्नी के नाम (डा. प्रमोद सिंह) धारित।	① पत्नी का प्रदा श्रीमती सुनिता पात्र प्रदीप दुबे निवासी डी.के.एन. 25, लकीर न. 74 सी इन्दौर से पत्नी का (पत्नी का प्रदा)।	शासन से परीक्षण की गई।
		② लैट	-	50 लाख	पत्नी के नाम (प्रमोद सिंह)	जनहित को-ऑपरेटिव एडवेंचर्स सोसायटी रिजिस्ट्रिड - पता - L. 6. 29, नवनीत (लाज) 512 कोल्हापुरा (मध्य) बिड़रवा गावर्जि पोख-इन्दौर	-
		③ लैट	-	50 लाख	पत्नी के नाम (प्रमोद सिंह)	③ पुत्री (स्वाध्याय) 29361 एफ. एफ. स्त्रीय न. 54 - इन्दौर (न. 5) (पत्नी का प्रदा)	-

यदि विरासत या भेंट नहीं है तो उसके लिये लगाये गये वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण जिनमें नगर, ऋण या भेंट ली है, उसका पूरा पता दिया जाये ।	यदि सम्पत्ति में सुधार/ विस्तार किया गया हो तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार विस्तार के लिये शासन को नियमानुसार सूचित किया गया, अनुमति ली गई	सम्पत्ति से वार्षिक आय	यदि सम्पत्ति को बेचा या हस्तांतरण किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14
<p>पूर्व में बनारस नगर प्रमाणों में लेवना एवं लेके से लेन लेना -</p>	—	—	14,800/-	—	—
*	जहां लागू न हो काट दीजिये				हस्ताक्षर.....  नाम..... <u>वीरेन्द्र सिंह</u> पदनाम..... <u>सहा. आयुक्त</u>
**	ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के लगभग मूल्य बतलाया जाये।				
***	इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।				
टिप्पणी	मध्य प्रदेश शासकीय सेवक(आचरण)नियम1959 के नियम18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि सेवा में पहली बार नियुक्ति के समय ओर उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें ओर उसमें उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो तो उस सम्पत्ति का ब्यौरा दिया जाये ।				